राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : **rscdrc.food.rajasthan.gov.in**,मेल आई.डी. **raj-sforum@nic.in**,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19 / सा.प्र. / रा.आ. / 540 दिनांक 28.06.2021

आदेश

कोविड–2019 की दूसरी लहर को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 26.06.2021 द्वारा पूर्व विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 व दिनांक 15.06.2021 की निरन्तरता मे **आगामी आदेशों** तक **त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा–निर्देश 3.0** जारी किये गये है।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश दिनांक 26.06.2021 के अनुक्रम मे इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी आदेशों की निरन्तरता मे निर्देशित किया जाता है कि:–

1. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैंच– बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा तथा समस्त जिला आयोगों के कार्यालय में जहॉ कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहॉ 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों मे कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। यद्यपि ऐसे कार्यालय जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा **वैक्सीन की प्रथम डोज (1^{st} dose)** ली जा चुकी है, उनमे 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। कार्यालय का समय **प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे** तक रहेगा।
2. **यह आदेश दिनांक 28.06.2021 से प्रभावी होगा।**

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :– एफ 19 / सा.प्र. / रा.आ. / 541–551 **दिनांक 28.06.2021**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक सदस्य / गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग– सर्किट बैंच जोधपुर / बीकानेर / उदयपुर एवं कोटा जरिये ई–मेल से।
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान जरिये ई–मेल से।
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राज.।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. संस्थापन शाखा, राज्य आयोग।
11. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।

(रजिस्ट्रार)